

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B. 204395

375,000



॥ जय श्री दादाजी ॥



विक्रय-पत्र (कृषि भूमि)

बिक्री मूल्य 2,00,000/-रु. (दो लाख रुपये)

संपत्ति वाके ग्राम 'दोंदवाड़ा' प.ह.नं. 88, रा0नि0मं0-छैगाँवखमान, वि0ख0 - छैगाँवमाखन, तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ के भाग में स्थित है।

बिक्रीत संपत्ति असंचित रकबे की है, विक्रेता के पास शू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग एक है जिसका क्रं. एन/54221 है। बिक्रीत संपत्ति राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है।	मुद्रांक शुल्क	11000-00
	ज.प.शुल्क	2000-00
	उपकर	550-00
कुल योग		13550-00

Seen
28/07/10



Handwritten signature and a blue ink fingerprint.

126M

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 5000

पाँच हजार रुपये

₹ 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 204396

रजनाजी

...2..

बिक्रीत संपत्ति शासकीय पट्टा अथवा भू-दान की नहीं है। बिक्रीत संपत्ति कृषि कार्य की होकर कृषि मद में दर्ज है। इस लेख के दोनों पक्षकार मध्यप्रदेश भू-राजस्व की स. 165 तथा सिलिंग एक्ट सन 1960 का उल्लंघन नहीं करते है। क्रेता एवं विक्रेता ... है।

-::क्रेता का नाम-::

श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, जाति जैन,
निवासी संतोषनगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा तहसील खण्डवा
जिला पूर्व निमाड म.प्र.

..को..

-:: विक्रेता का नाम-::

1. श्रीमती हसीनाबी पति श्री मोहम्मद याक़ुब, जाति मुसलमान,
निवासी कहारवाड़ी, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड म.प्र. ...ने..

-::प्रतिफल-::

2,00,000/-रु. अक्षरी दो लाख रुपये नगद प्राप्त सो हम भरपाये

...3..



श्रीमती
हसीनाबी



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 439796

..3..

--:संपत्ति का विवरण::--

संपत्ति वाके ग्राम 'दोंदवाड़ा' प.ह.नं. 88, रा0नि0मं0-छैगाँवखमान, वि0ख0-छैगाँवमाखन, तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड के भाग में स्थित खेत खसरा नंबर 874, रकबा 0.72 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 875 रकबा 0.61 हैक्टेयर कुल ठीके दो कुल का रकबा 1.33 हैक्टेयर कुल की लगान 2.00 रूपये की है, पूरी 1.33 हैक्टेयर जमीन आज जिस भी हालत में है उसी हालत में आज आपको बिक्री कर मौके पर आप क्रेता का कब्जा भी करा दिया है। सो इस 1.33 हैक्टेयर जमीन की चतुरसीमा :-

- पूर्व को - हुकुम, प्रभु एवं बलीराम की जमीन
- पश्चिम को - श्रीमती मेनाजबी की जमीन जो आज ही आप क्रेता ने क्रय कर ली है.
- उत्तर को - आम रास्ता (गोह्या)
- दक्षिण को - आम रास्ता (गोह्या)

सो इस हद हदूद व चतुरसीमा के मध्य की 1.33 हैक्टेयर जमीन मय, हक, मालकी व दीगर आदि के कुल हक हकूक सहित बेचदेकर आपके कब्जे में कर दी है।

..4..

Handwritten signature and a blue ink fingerprint.

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 439790

..4..

ऐसा कि, उपर लिखी संपत्ति हम विक्रेता की मालकी, कब्जा, स्वत्व एवं आधिपत्य की है, तथा उपरलिखी संपत्ति हमने पंजीबद्ध बिक्री पत्र दिनांक 15/10/2008 को पु.क्रं. 1अ,ग्रंथ 9541 के 7 पृ. 28 से 34 क्रं. 2875 के द्वारा श्री अशोक कुमार पिता श्री गौरीशंकर वर्मा निवासी खण्डवावालों से क्रय की थी, तथा उपरलिखी संपत्ति राजस्व अभिलेखों में हम विक्रेता के नाम से दर्ज है, तथा उपर लिखी संपत्ति में हम विक्रेता के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार एवं भागीदार नहीं है। विक्रेता को उपर लिखी संपत्ति को हर प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण करने का पूरा-पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को पारिवारिक खर्च, एवं लाभप्रद विनियोजन हेतु रूपयों की आवश्यकता है, इस कारण उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करके विक्रेता अपनी आवश्यकता को पूरी करना चाहता है। उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करने की बात विक्रेता ने क्रेता से की तो विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उपर लिखी संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य 2,00,000/-रु. अक्षरी दो लाख रूपये मात्र में तय हुआ है उक्त मूल्य में क्रेता उपर लिखी संपत्ति को क्रय करने को तत्पर है, जो बिक्रीत अचल संपत्ति का आज के समय मान से उचित एवं जायज मूल्य है। इससे अधिक मूल्य आना संभव नहीं है। अतएव विक्रेता ने उपर लिखी संपत्ति क्रेता को उपरोक्त मूल्य में विक्रय करके, विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है, सो भरपाये, सो पाकर इन रूपयों के एवज में उपर लिखी संपत्ति हर हमेशा के वास्ते क्रेता को विक्रय करके विक्रेता ने क्रेता के कब्जे में कर दी है एवं क्रेता ने भी विक्रेता से मौके पर दो गवाहों के समक्ष उपर लिखी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।



दिनांक
हस्ताक्षर

..5..

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

B 439791

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

..5..

अब आप क्रेता बिक्रीत संपत्ति के पूरे सोलह आने के मालिक एवं कब्जेदार हो चुके हो, अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति पर अपना कब्जा रखकर बिक्रीत संपत्ति का मालिक की हैसियत से जैसा चाहें वैसा उपयोग एवं उपभोग प्राप्त करते जाना। बिक्रीत संपत्ति के संबंध में विक्रेता को जितने हक, अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त है, उन सब हक, अधिकार एवं सुखाधिकार सहित संपत्ति आप क्रेता को विक्रय की है।

अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति को इस लेख के माध्यम से राजस्व प्रपत्रों एवं ग्राम पंचायत आदि के लेखों में विक्रेता के नाम के स्थान पर आप क्रेता का नाम दर्ज करवा लेना एवं आप क्रेता का नाम दर्ज करवाने में जहाँ भी विक्रेता के हस्ताक्षर एवं कथन की आवश्यकता होगी विक्रेता क्रेता को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

बिक्रीत संपत्ति का आज दिनांक तक का बकाया लगान, अदाव हम विक्रेता अदा करेंगे एवं आज के बाद से आप क्रेता ने समय पर देते जाना।

बिक्रीत संपत्ति पर विक्रेता का, विक्रेता के वारसान, रिश्तेदार, भाईबंध, कुटुम्ब, परिवार के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा आदि रहा नहीं अगर उपरोक्त किसी प्रकार के शरूस ने कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा किया तो वह सब इस लेख के समक्ष रद्द व नाजायज माना जावेगा तथा आप क्रेता का कब्जा इस लेख के तहत कायम रहेगा।



19/11/2011
हस्ताक्षर

..6..

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 439792

..6..

बिक्रीत संपत्ति पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, वित्तीय निगम, अथवा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, एवं जीवन बीमा निगम आदि का कोई कर्ज भार इत्यादि नहीं है, और ना ही संपत्ति विक्रेता के द्वारा किसी अन्य लेख के जरिये कहीं पर रहन, बय, बक्षीस, चार्ज, कुर्की, बंधक, दान, बिक्री, गिरवी, वसीयत, जमानत, मेहर, एवं अदालती डिक्री आदि में की है, आप क्रेता को सभी प्रकार के भार बोझे से मुक्त साफ एवं पाक हालत में संपत्ति बेची है।

बिक्रीत संपत्ति के स्वत्व संबंधी अथवा अन्य विषयक कोई वाद अथवा विवाद किसी भी न्यायालय या कार्यालय में अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है। बिक्रीत संपत्ति बाबत कोई विवाद पाया जावे या कोई बोझा पाया जावे अथवा अन्य किसी भी कारण से, संपत्ति की मालकी में दोष पाये जाने से बिक्रीशुदा संपत्ति सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग आप क्रेता को प्राप्त न हो सके अथवा आप क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो आप क्रेता के इन कुल रूपयों के मय ब्याज एवं खर्चों सहित के देनदार एवं जवाबदार हम विक्रेता रहेंगे और आप क्रेता हमारे से एवं हमारी अन्य अचल संपत्ति से पाने के अधिकारी रहेंगे। इसमें हम विक्रेता को लेश मात्र भी उजर या आपत्ति नहीं रहेगी, बिक्रीशुदा संपत्ति हम विक्रेता की मालकी एवं कब्जे की है, जिसे बिना बोझे के आप क्रेता को बिक्री की है।

यह कि बिक्रीत संपत्ति हमने पंजीबद्ध बिक्री पत्र दिनांक 15/10/2008 को पु.क्रं. 13, ग्रंथ 9541 के 7 पृ. 28 से 34 क्रं. 2875 के द्वारा श्री अशोक कुमार पिता श्री गौरीशंकर वर्मा निवासी खण्डवावालों से क्रय की थी, उसका मूल बिक्री पत्र भी आज आपको इस लेख के साथ सौंप दिया है।



दिनांक 17...
हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

सत्यमेव जयते

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 286008

...2...

-:: विक्रेता का नाम ::-

- 1- अशोक कुमार पिता श्री गौरीशंकरजी वर्मा, जाति कसेरा, निवासी
वाम्बे बाजार, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड़
...गैर आदिवासी

-:: क्रेता का नाम ::-

- 1- श्रीमती हसीना बी पति मोहम्मद याकुब, जाति मुसलमान, निवासी
कहारवाड़ी, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड़
...गैर आदिवासी

-:: प्रतिफल ::-

विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि 1,65,000/- एक लाख पैसठ हजार
रूपये, जो विक्रेता ने क्रेता से नगदी प्राप्त कर लिये है, सो भरपाये

निरंतर...3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

C 133260

...3...


-:: संपत्ति का वर्णन ::-

संपत्ति वाके ग्राम 'दोदवाड़ा' पटवारी हल्का नंबर - 88, राजस्व निरीक्षक मण्डल - छैगाँवमाखन, विकास खण्डवा - छैगाँवमाखन, तहसील - खण्डवा, जिला - पूर्व निमाड़, के भाग में स्थित है, जिसका खेत खसरा नंबर 874 रकबा 0.72 हैक्टर एवं खेत खसरा नंबर 875 रकबा 0.61 हैक्टर, इस प्रकार कुल नंबर दो कुल का रकबा 1.33 हैक्टर, कुल की लगान 2.00 रुपये की है, पूरी 1.33 हैक्टर जमीन विक्रेता ने क्रेता को इस लेख से बिक्री की है, जिसकी चतुरसीमा इस प्रकार है :-

- | | | |
|-----------|---|---|
| पूर्व को | - | हुकुम, प्रभु एवं बलीराम की जमीन |
| पश्चिम को | - | श्री प्रदीप वर्मा की जमीन जो श्रीमती मेनाज बी ने क्रय कर ली है। |
| उत्तर को | - | आम रास्ता (गोह्रा) |
| दक्षिण को | - | आम रास्ता (गोह्रा) |

सो इस हद हद व चतुरसीमा के मध्य की जमीन मय, हक, मालकी व निस्तार वापर आदि के कुल हक हकूक सहित विक्रय करके, मौके पर विक्रेता ने क्रेता के कहे में दे दी है।

निरंतर...



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

...4...

H 459652

01. यह कि, उपर लिखी संपत्ति विक्रेता की मालकी, कब्जा, स्वत्व एवं आधिपत्य की है। विक्रेता ही उपर लिखी संपत्ति पर मालिक की हैसियत से कब्जेदार होकर संपत्ति का बिना बाधा के सतत रूप से उपयोग एवं उपभोग प्राप्त कर रहा है, उपर लिखी संपत्ति में विक्रेता के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार एवं भागीदार नहीं है। उपर लिखी संपत्ति राजस्व प्रपत्रों में विक्रेता के नाम से दर्ज है। विक्रेता को उपर लिखी संपत्ति को हर प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण करने का पूरा-पूरा हक व अधिकार प्राप्त हैं।
02. यह कि, विक्रेता को सहूलियत की दूसरी संपत्ति क्रय करने वास्ते एवं लाभप्रद विनियोजन हेतु रूपयों की आवश्यकता है, इस कारण उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करके विक्रेता अपनी आवश्यकता को पूरी करना चाहता है। उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करने की बात विक्रेता ने क्रेता से की तो विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उपर लिखी संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य 1,65,000/- एक लाख पैसठ हजार रूपये तय हुआ है। उक्त मूल्य में क्रेता उपर लिखी संपत्ति को क्रय करने को तत्पर है, जो विक्रीत अचल संपत्ति का आज के समय मान से उचित एवं जायज मूल्य है। इससे अधिक मूल्य आना संभव नहीं है। अतएव विक्रेता ने उपर लिखी संपत्ति क्रेता को 1,65,000/- एक लाख पैसठ हजार रूपये के मूल्य में विक्रय करके, विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है, सो भरपाये, सो पाकर इन रूपयों के एवज में उपर लिखी संपत्ति हर हमेशा के वास्ते क्रेता को विक्रय

निरंतर...5

भारतीय गैर न्यायिक

क सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

H 459653

श MADHYA PRADESH

...5...

- करके विक्रेता ने क्रेता के कब्जे में कर दी है एवं क्रेता ने भी विक्रेता से मौके पर दो गवाहों के समक्ष उपर लिखी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।
03. यह कि, अब आप क्रेता बिक्रीत संपत्ति के पूरे सोलह आने के मालिक एवं कब्जेदार हो चुके हो, अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति पर अपना कब्जा रखकर बिक्रीत संपत्ति का मालिक की हैसियत से जैसा चाहें वैसा उपयोग एवं उपभोग प्राप्त करते जाना। बिक्रीत संपत्ति के संबंध में विक्रेता को जितने हक, अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त है, उन सब हक, अधिकार एवं सुखाधिकार सहित संपत्ति आप क्रेता को विक्रय की है।
04. यह कि, अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति को इस लेख के माध्यम से राजस्व प्रपत्रों आदि के लेखों में विक्रेता के नाम के स्थान पर आप क्रेता का नाम दर्ज करवा लेना एवं आप क्रेता का नाम दर्ज करवाने में जहाँ भी विक्रेता के हस्ताक्षर एवं कथन की आवश्यकता होगी विक्रेता क्रेता को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
05. यह कि, बिक्रीत संपत्ति का आज दिनांक से पहले तक का बकाया लगान विक्रेता अदा करेंगे एवं आज के बाद से आप क्रेता ने समय पर देते जाना।
06. यह कि, बिक्रीत संपत्ति पर विक्रेता का, विक्रेता के वारसान, रिश्तेदार, भाईबंध, कुटुम्ब, परिवार के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा आदि रहा नहीं, अगर उपरोक्त किसी प्रकार के शख्स ने कोई हक, दावा,

निरंतर...6

...6...


अधिकार, झगड़ा किया तो वह सब इस लेख के समक्ष रद्द व नाजायज माना जावेगा तथा आप क्रेता का कब्जा इस लेख के तहत कायम रहेगा।

07. यह कि, बिक्रीत संपत्ति पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अर्द्धशासकीय बैंक, वित्तीय संस्था, साहूकार, समिति आदि का कोई कर्ज भार इत्यादि नहीं है, और ना ही संपत्ति विक्रेता के द्वारा किसी अन्य लेख के जरिये कहीं पर रहन, बय, बक्षीस, चार्ज, कुर्की, बंधक, दान, बिक्री, गिरवी, वसीयत आदि में की है, आप क्रेता को सभी प्रकार के भार बोझ से मुक्त साफ एवं पाक हालत में संपत्ति बेची है।

08. यह कि, बिक्रीत संपत्ति के स्वत्व संबंधी अथवा अन्य विषयक कोई वाद अथवा विवाद किसी भी न्यायालय या कार्यालय में अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है। बिक्रीत संपत्ति के बाबत कोई विवाद पाया जावे या कोई बोझा पाया जावे अथवा अन्य किसी भी कारण से, संपत्ति की मालकी में दोष पाये जाने से बिक्रीत संपत्ति सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग आप क्रेता को प्राप्त न हो सके अथवा आप क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो आप क्रेता के इन कुल रूपयो के मूल ब्याज एवं खर्चे सहित के देनदार एवं जवाबदार हम विक्रेता रहेंगे और आप क्रेता हमारे से एवं हमारी अन्य चल-अचल संपत्ति से पाने के अधिकारी रहेंगे। इसमें हम विक्रेता को लेश मात्र भी उजर या आपत्ति नहीं रहेगी, बिक्री शुदा संपत्ति हम विक्रेता की मालकी एवं कब्जे की है, जिसे बिना बोझ के आप क्रेता को बिक्री की है।

निरंतर...7

10/10/2008
 10/10/2008
 10/10/2008
 10/10/2008



21/10/2008
 21/10/2008
 21/10/2008
 21/10/2008

अतः यह विक्रय - पत्र विक्रेता ने अपनी राजी-खुशी से बिना किसी डर
 दबाव के बिक्री मूल्य की कुल राशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिख दिया सो सही सनद रहे
 वक्त जरूरत के काम आवे। खण्डवा, दिनांक **15 OCT 2008**

गवाह

1. हस्ताक्षर

दिनेश

नाम - दिनेश

पिता - हिरालाल

पता - छिन्नी रोड

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

2.

हस्ताक्षर

नाम - सुरेश चंद्र वर्मा

पिता - श्री रामेश चंद्र वर्मा

पता - मंडी रोड खण्डवा



नोट: कोई काटपीट नहीं है।

हस्ताक्षर क्रेता

उभय पक्षों द्वारा दी गई जानकारी एवं माहिती के अनुसार यह दस्तावेज का
 प्रारूप मेरे द्वारा मेरे कार्यालय में तैयार करवाया गया।

अधिवक्ता, खण्डवा

मुद्रक - राकेश रमेश सोमानी - 98272-33814